मुकदमों का विवरण

अर्नब रॉय

बनाम

राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों और ए. एन. आर. का संगठन। (2022 की रिट याचिका (सिविल) संख्या 1109)

17 मार्च, 2023

**[**डॉ**.** धनंजय वाई चंद्रचूड़**,** भारत के मुख्य न्यायाधीश**,** पमिडीगंथम श्री नरसिम्हा और जे**.** बी**.** पारदीवाला**,** न्यायाधीशगण**]**

हेडनोट्स

विचार के लिए विषयःयाचिकाकर्ता द्वारा विशेष रूप से संबोधित मुद्दा उन उम्मीदवारों के लिए सुविधाओं से संबंधित है जो सामान्य विधि प्रवेश परीक्षा (सी. एल. ए. टी.) 2023 में एक लिपिक का लाभ उठाने का इरादा रखते हैं।

विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम**, 2016-**विकास कुमार बनाम संघ लोक सेवा आयोग और अन्य मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद**,** सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिनांकित एक कार्यालय ज्ञापन द्वारा दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं:

आयोजित किया गयाःआधिकारिक ज्ञापन के पैराग्राफ 4 में कहा गया है कि प्रत्येक मंत्रालय/विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत सभी भर्ती एजेंसियों, शैक्षणिक/परीक्षा निकायों को दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित रूप से सलाह दी जा सकती है-न्यायालय के अंतरिम निर्देशों के अनुसरण में, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों के संघ ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए बयान के संदर्भ में दिव्यांग उम्मीदवारों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान कीं।[पैरा 11,12]

विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम**, 2016-**सी**.** एल**.** ए**.** टी**.** विज्ञापन **28.08.2022** पर जारी किया गया था और पंजीकरण **18.11.2022** पर बंद कर दिया गया था**-**संघ ने **24.11.2022** पर अपने दिशानिर्देशों का सेट जारी किया और प्रवेश परीक्षा **18.12.2022** पर आयोजित की गई थी**-**याचिकाकर्ता ने विज्ञापन के साथ दिशानिर्देश जारी करने का आग्रह कियाः

अर्नब रॉय बनाम कंसोर्टियम ऑफ नेशनल विधि यूनिवर्सिटीज 466 सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2023] 14 एस. सी. आर.

आयोजित किया गयाःयह निर्देश दिया गया कि भविष्य में, जो दिशा-निर्देश दिव्यांग उम्मीदवारों को दी जाने वाली सुविधाओं के लिए लागू होंगे, उन्हें पहले से ही पर्याप्त रूप से अधिसूचित किया जाना चाहिए और किसी भी स्थिति में, उस विज्ञापन के साथ, जिसके द्वारा सी. एल. ए. टी. के लिए अनुसूची सार्वजनिक डोमेन में रखी गई है-यह सुनिश्चित करेगा कि उम्मीदवार अनिश्चितता की स्थिति में न रहें और विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुरूप उन्हें उपलब्ध कराई गई सुविधाओं और उचित आवास की प्रकृति को सटीक रूप से जानें।[पैरा 17]

विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम**, 2016-**सी**.** एल**.** ए**.** टी**.** का संचालन करने वाले संघ को जारी किए गए निर्देशः

आयोजित किया गयाःसी. एल. ए. टी. ने निर्देश दिया कि भविष्य में, अपने सूत्रीकरण के अनुरूप तौर-तरीकों को तैयार करें, जिसे उच्चतम न्यायालय के समक्ष रिकॉर्ड में रखा गया था ताकि दिव्यांग उम्मीदवारों को किसी भी तरह की असुविधा से बचा जा सके-संघ यह सुनिश्चित करने के लिए भी उचित कदम उठाएगा कि इसके दिशानिर्देश सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, विकलांग व्यक्ति विभाग द्वारा जारी आधिकारिक ज्ञापन दिनांक 10.08.2022 के अनुरूप हैं।[पैरा 19]

विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम**, 2016-**सामान्य विधि प्रवेश परीक्षा में**,** संघ ने लेखकों को प्रतिबंधित करने की मांग की थी यदि वे **(**ए**)** शैक्षिक प्राप्ति में **11** वीं कक्षा से ऊपर हैं**;** या **(**बी**)** किसी भी परीक्षा**-**तैयारी संगठन या परीक्षा कोचिंग केंद्र से संबद्ध हैं**-** स्वामित्वः

आयोजित किया गयाःइस पृष्ठभूमि में, परीक्षा की अखंडता और पवित्रता को बनाए रखने के लिए, यह आवश्यक है कि लेखक अपने ज्ञान या अनुभव के आधार पर एम. सी. क्यू. के स्वतंत्र उत्तर न दे और इसलिए दो गुना प्रतिबंध लगाया गया है-इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया है कि किसी भी स्थिति में, यदि किसी उम्मीदवार को किसी लेखक को शामिल करने में कोई कठिनाई है, तो संघ एक लेखक प्रदान करने के लिए तैयार और इच्छुक है ताकि उम्मीदवार को प्रवेश परीक्षा में बैठने से रोका न जाए-इसलिए, संघ के अनुरोध को इस दावे की सीमा तक अनुज्ञात जाती है कि जिस लेखक का चयन किया गया है, वह 11 वीं कक्षा से ऊपर योग्य नहीं होना चाहिए और किसी भी परीक्षा-प्रारंभिक संगठन से जुड़ा नहीं होना चाहिए या[पैरा 22,27]

विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम**, 2016-**उम्मीदवारों को एक लिपिक की सुविधा**-**जहां संघ लिपिक प्रदान करता है**,** कम से कम दो दिन का समय प्रदान किया जाना चाहिए ताकि अभ्यर्थी लिपिक के साथ बातचीत कर सकेः

आयोजित किया गयाःदूसरे शब्दों में, सी. एल. ए. टी. के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवार या तो अपना स्वयं का लिपिक ला सकते हैं या यदि ऐसा करना संभव नहीं है, तो संघ से एक लिपिक प्रदान करने का अनुरोध करें जिसे फिर उम्मीदवार को उपलब्ध कराया जाए-इस बात पर सहमति हुई कि जहां संघ एक लिपिक प्रदान करता है, कम से कम दो दिन का समय प्रदान किया जाना चाहिए ताकि उम्मीदवार को लिपिक के साथ बातचीत करने में सक्षम बनाया जा सके-एक दृष्टिबाधित उम्मीदवार के मामले में लिपिक को एम. सी. क्यू. को पढ़ने और जवाब लिखने की आवश्यकता होती है-लिपिक और आकांक्षी उम्मीदवार को परिचित कराने के लिए, यह उचित है कि दो दिनों की बातचीत के लिए पर्याप्त समय प्रदान किया जाना चाहिए-दिशानिर्देश भी एक समान शर्त बनाते हैं।[पैरा 26]

शहरों और अन्य संदर्भों की सूची

विकास कुमार बनाम संघ लोक सेवा आयोग और अन्य। (2021) 5

एस. सी. सी. 370-पर निर्भर था।

अन्य मामलों के विवरणों में आयातित आदेश और आवेदन आक्षेपित हैं

नागरिक मूल न्यायनिर्णयः2022 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 1109।

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत)

विविध अनुप्रयोग (2023 की डायरी संख्या 8493)

रूपः

निखिल नय्यर, वरिष्ठ अधिवक्ता, एन. साई विनोद, अभिनव, अधिवक्ता।याचिकाकर्ता के लिए।श्रीमती ऐश्वर्या भाटी, ए. एस. जी., सिद्धार्थ अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता, अरुण श्री कुमार, सुश्री प्रिथा श्रीकुमार, अनिरुद्ध जी., सुश्री अर्शिया घोष, श्रीमती ललिता कौशिक, अमन शर्मा, यशराज सिंह बुंदेला, मनविंदर सिंह राठौर, मानवेंद्र सिंह राठौर, शाश्वत परिहार, शाश्वत परिहार, अमरीश कुमार, राज बहादुर यादव, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

अदालतों के प्रस्ताव 467 द्वारा

अर्नब रॉय बनाम राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय 468

सर्वोच्च
न्यायालय
का
निर्णय/आदेश

निर्णय

डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई

1. याचिकाकर्ता, जो एक वकील और विकलांग अधिकार कार्यकर्ता हैं, ने सामान्य विधि प्रवेश परीक्षा 2023 के संचालन के लिए लगाई गई कुछ शर्तों को चुनौती देने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत इन कार्यवाही को आगे बढ़ाया। सी. एल. ए. टी. 18 दिसंबर 2022 को निर्धारित किया गया था।याचिकाकर्ता द्वारा विशेष रूप से संबोधित मुद्दा उन उम्मीदवारों के लिए सुविधाओं से संबंधित है जो एक लिपिक का लाभ उठाना चाहते हैं।

2 याचिकाकर्ता का कहना है कि वह व्यक्तिगत रूप से जानते थे कि कम से कम 13 दृष्टिबाधित उम्मीदवारों को परीक्षा की तारीख से चार सप्ताह से भी कम समय पहले राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों के संघ द्वारा देर से लगाई गई शर्तों के कारण एक लेखक की सहायता से वंचित कर दिया जाएगा।3. याचिकाकर्ता ने कुछ विशिष्ट चिंताओं पर प्रकाश डाला है, जिनके आधार पर

विकास कुमार बनाम संघ लोक सेवा मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर

आयोग और अन्य 3.इन चिंताओं में से पहला यह है कि संघ ने उन उम्मीदवारों को एक लेखक के अधिकार से वंचित कर दिया है जिनके पास एक बेंचमार्क विकलांगता नहीं है, हालांकि उनके पास लिखित रूप में एक वास्तविक भिन्नता है।इस संदर्भ में, विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों की वैधानिक पात्रता पर विस्तार से बताते हुए, विकास कुमार में निर्णय में निम्नलिखित सिद्धांत पर निर्भरता रखी गई हैः

"केवल बेंचमार्क विकलांग लोगों के लिए एक लेखक की सुविधा को स्वीकार करना व्यक्तियों के एक वर्ग को उनके वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त अधिकारों से वंचित करना होगा।ऐसा करना साधारण शब्दों के साथ-साथ क़ानून के उद्देश्य के विपरीत होगा। "

1 "क्लैट "

2 "संघ "

3 (2021) 5 एस. सी. सी. 370 4 "पीडब्ल्यूडी"

/

[2023] 14 एस सी आर।

4. उपरोक्त शिकायत के अलावा, याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि भारत संघ के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 29 अगस्त 2018 के अपने दिशानिर्देशों में निर्धारित किया था कि यदि किसी उम्मीदवार को अपना स्वयं का लिपिक लाने की अनुज्ञात जाती है, तो योग्यता प्रमाण परीक्षा देने वाले उम्मीदवार की योग्यता प्रमाण से एक कदम नीचे होना चाहिए।दूसरी ओर, वर्तमान मामले में, कंसोर्टियम ने लेखकों को प्रतिबंधित करने की मांग

की थी यदि वे (ए) शैक्षिक प्राप्ति में 11 वीं कक्षा से ऊपर हैं; या (बी) किसी भी परीक्षा-तैयारी संगठन या परीक्षा कोचिंग केंद्र से संबद्ध हैं।

5. उपरोक्त प्रतिबंध के परिणामस्वरूप, यह आग्रह किया गया था कि एक पीडब्ल्यूडी उम्मीदवार एक लेखक को नियुक्त नहीं कर सकता है जो वर्तमान में 12 वीं कक्षा में नामांकित है।इसके अलावा, यह आग्रह किया गया कि किसी भी परीक्षा कोचिंग केंद्र में नामांकित छात्रों को बाहर करने से लगभग हर 10 वीं और 11 वीं कक्षा के छात्र समाप्त हो जाएंगे क्योंकि सभी छात्रों को प्रतिस्पर्धी प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग केंद्रों में नामांकित किए जाने की संभावना है।

6. तीसरी और अंतिम शिकायत यह है कि संघ ने उन उम्मीदवारों के लिए लेखक प्रदान करने के अपने सकारात्मक दायित्व का त्याग कर दिया है जो वित्तीय और अन्य सुलभता बाधाओं के कारण एक लेखक को नियुक्त करने या नियुक्त करने में असमर्थ हैं।

7. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सी. एल. ए. टी. एक राष्ट्रव्यापी परीक्षा है और याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए मुद्दे सामान्य रूप से विकलांग उम्मीदवारों को प्रभावित करेंगे, इस न्यायालय ने 15 दिसंबर 2022 को कार्यवाही पर विचार किया।उस स्तर पर, सी. एल. ए. टी. दो दिन बाद, 18 दिसंबर 2022 को निर्धारित किया गया था।न्यायालय के समक्ष उठाए गए मुद्दों को हल करने के लिए संघ से अनुरोध करते हुए न्यायालय के एक सुझाव के जवाब में, न्यायालय के समक्ष उसकी ओर से निम्नलिखित सूत्रीकरण प्रस्तुत किया गया थाः

"1 विकास कुमार बनाम संघ लोक सेवा आयोग और अन्य (2021) 5 एस. सी. सी. 370 में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों का संघ ("संघ") सी. एल. ए. टी. 2023 के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों के लिए निम्नलिखित उचित समायोजन करता हैः(i) विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 469 की धारा 2 (ओं) में अवज्ञा के अंतर्गत एक विशिष्ट विकलांग व्यक्ति के साथ।



("अधिनियम") लेकिन अधिनियम की धारा 2 (आर) के अंतर्गत अवज्ञा के अंतर्गत शामिल नहीं है, यानी 40 प्रतिशत से कम विशिष्ट विकलांग व्यक्ति, और

((ii) जिनके पास लिखित रूप में भिन्न धारणाएँ हैं।

2 उपरोक्त रूप से ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने सरकारी चिकित्सा प्रमाण पत्र/विकलांगता प्रमाण पत्र प्राप्त किया है जो यह दर्शाता है कि वे ऊपर पैरा 1 में वर्णित श्रेणी के भीतर आते हैं, उन्हें सी. एल. ए. टी. 2023 लिखने के लिए एक लिपिक की सहायता की अनुमति दी जा सकती है।ऐसा कोई भी उम्मीदवार अपने आवंटित परीक्षा केंद्र पर प्रभार रखने वाले समन्वयक को ईमेल द्वारा आवेदन कर सकता है।

3 किसी भी लेखक को 24 नवंबर, 2022 को कंसोर्टियम के 'बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों ("पीडब्ल्यूडी")/विशेष रूप से सक्षम व्यक्तियों ("एसएपी") के लिए दिशानिर्देशों में निर्धारित योग्यता मानदंडों को पूरा करना होगा।

4 कंसोर्टियम बेंचमार्क विकलांग उम्मीदवारों और उपरोक्त पैरा 1 में वर्णित उम्मीदवारों को भी उचित सहायता प्रदान करेगा, जो सी. एल. ए. टी. 2023 को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए मामले-दर-मामले के आधार पर ऐसी सुविधाओं का अनुरोध करते हैं।यदि ऐसे किसी भी उम्मीदवार को इस संबंध में किसी भी समर्थन की आवश्यकता होती है, तो वे clat@consortiumofnlus पर संघ से संपर्क कर सकते हैं।एसी।में।5 यह विवरण सी. एल. ए. टी. 2023 के लिए उपस्थित होने वाले सभी उम्मीदवारों को उनके पंजीकृत ईमेल पते पर तत्काल प्रभाव से प्रसारित किया जाएगा। "

8. इस न्यायालय ने निर्देश दिया कि उपरोक्त कथन आगामी परीक्षा के संचालन का मार्गदर्शन करेगा।प्रथम प्रतिवादी को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था कि किसी भी विकलांग छात्र को आगामी परीक्षा में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाए और विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों और विकास कुमार (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए उचित आवास के माध्यम से सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाएं।प्रथम उत्तरदाता को आगामी सी. एल. ए. टी. में आवेदन करने वाले विकलांग उम्मीदवारों की संख्या और उन्हें दी गई सुविधाओं सहित एक अद्यतन स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया गया था।

/

[2023] 14 एस सी आर।

9. उपरोक्त निर्देशों के अनुसरण में, कंसोर्टियम के नेतृत्व में एक एफ़ी दावित का गठन किया गया है।सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के विकलांग व्यक्तियों के अधिकारिता विभाग 5 में भारत संघ द्वारा इन कार्यवाहियों में एक बैठक का भी नेतृत्व किया गया है।

10. विकास कुमार (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय के फैसले के बाद, 10 अगस्त 2022 के एक आधिकारिक ज्ञापन द्वारा, एमएसजेई द्वारा दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं। यह एक विशेषज्ञ समिति के अनुसरण में था जिसका गठन विकास कुमार में निर्णय को लागू करने के लिए किया गया था।आधिकारिक ज्ञापन का अनुच्छेद 3 नीचे दिया गया हैः

“3. समिति ने तदनुसार आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम, 2016 की धारा 2 (ओं) की अवज्ञा के अंतर्गत आने वाले विशिष्ट रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित करने के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देशों की सिफारिश की, लेकिन जो उक्त अधिनियम की धारा 2 (आर) की अवज्ञा के अंतर्गत नहीं आते हैं, अर्थात 40 प्रतिशत से कम विकलांग और लिखित रूप में भिन्न रूप वाले व्यक्तिः-

(क) इन दिशानिर्देशों को आर. पी. डब्ल्यू. डी. अधिनियम, 2016 की धारा 2 (ओं) की अवज्ञा के अंतर्गत आने वाले विशिष्ट विकलांग व्यक्तियों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित करने के लिए दिशानिर्देश के रूप में जाना जा सकता है, लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2 (आर) की अवज्ञा के अंतर्गत नहीं आता है, यानी 40 प्रतिशत से कम विकलांग व्यक्ति और लिखित रूप में विभिन्न प्रकार की अक्षमता वाले व्यक्ति।

(ख) लेखक और/या क्षतिपूर्ति समय की सुविधा केवल उन लोगों को दी जाएगी जिनके पास लिखित रूप में अलग-अलग अधिकार हैं, बशर्ते कि संबंधित व्यक्ति को एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की सीमा हो और वह लेखक परिशिष्ट-I में दिए गए प्रारूप के अनुसार सरकारी स्वास्थ्य सेवा संस्थान के सक्षम चिकित्सा प्राधिकरण से अपनी ओर से परीक्षा लिखना आवश्यक है।

(ग) उपरोक्त बिंदु (ख) में उल्लिखित प्रमाणन के उद्देश्य के लिए चिकित्सा प्राधिकरण एक बहु-सदस्य प्राधिकरण होना चाहिए जिसमें निम्नलिखित शामिल हों:-

5 “DEPWD "6" MSJE "

471

अर्नब रॉय बनाम कंसोर्टियम ऑफ नेशनल विधि

विश्वविद्यालय [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 472

आई. मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी cer.Chairperson

ii.आर्थोपेडिक/पी. एम. आर. विशेषज्ञ।न्यूरोलॉजिस्ट, यदि उपलब्ध हो तो *

iv.नैदानिक मनोवैज्ञानिक/पुनर्वास मनोवैज्ञानिक/मनोचिकित्सक/विशेष शिक्षक

v. व्यावसायिक चिकित्सक, यदि उपलब्ध हो तो *

(vi) उम्मीदवार की स्थिति के आधार पर कोई अन्य विशेषज्ञ जिसे अध्यक्ष द्वारा नामित किया जा सकता है।(* मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी निकटतम जिले या मेडिकल कॉलेज/संस्थान से न्यूरोलॉजिस्ट, व्यावसायिक चिकित्सक को शामिल करने के लिए पूरा प्रयास कर सकते हैं, यदि वे जिले में उपलब्ध नहीं हैं) "

(घ) उम्मीदवार को अपने स्वयं के लेखक को चुनने या उसके लिए परीक्षा निकाय से अनुरोध करने का विवेक होना चाहिए।परीक्षा निकाय परीक्षा की आवश्यकताओं के अनुसार जिला/प्रभाग/राज्य स्तर पर पैनल बनाने के लिए लेखक की पहचान भी कर सकता है।बाद के उदाहरणों में उम्मीदवारों को परीक्षा से दो दिन पहले लिपिक से मिलने की अनुज्ञात जानी चाहिए ताकि उम्मीदवारों को यह जांचने और सत्यापित करने का मौका मिल सके कि लिपिक उपयुक्त है या नहीं।(ई) यदि परीक्षा निकाय लिपिक प्रदान करता है,

तो यह सुनिश्चित किया जाएगा कि लिपिक की योग्यता परीक्षा के न्यूनतम योग्यता मानदंड से अधिक नहीं होनी चाहिए।हालांकि, लेखक की योग्यता हमेशा मैट्रिक या उससे ऊपर होनी चाहिए।यदि उम्मीदवार को अपना स्वयं का लिपिक लाने की अनुज्ञात जाती है, तो लिपिक की योग्यता परीक्षा देने वाले उम्मीदवार की योग्यता से एक कदम कम होनी चाहिए।स्वयं के लेखक का चयन करने वाले व्यक्ति को परिशिष्ट-II में प्रोफार्मा के अनुसार अपने लेखक का विवरण जमा करना चाहिए।

/



(च) आपात स्थिति के मामले में लेखक में किसी भी बदलाव को समायोजित करने की भी आवश्यकता होनी चाहिए।उम्मीदवारों को विशेष रूप से भाषाओं के लिए अलग-अलग पेपर लिखने के लिए अलग-अलग लेखक लेने की भी अनुज्ञात जानी चाहिए।हालांकि, प्रति विषय केवल एक ही लेखक हो सकता है।

(छ) उम्मीदवार को परिशिष्ट I के अनुसार चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा जारी प्रमाण पत्र के पैरा 2 में उल्लिखित सहायक और सहायक उपकरणों जैसे प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स, श्रवण सहायता का उपयोग करने की अनुज्ञात जानी चाहिए।

(ज) उन व्यक्तियों के लिए परीक्षा के प्रति घंटे 20 मिनट से कम के प्रतिपूरक समय की अनुज्ञात जानी चाहिए जो लेखक प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।यदि 3 परीक्षण की अवधि एक घंटे से कम है, तो प्रतिपूरक समय की अवधि को अनुपात के आधार पर अनुज्ञात जानी चाहिए।क्षतिपूर्ति का समय 5 मिनट से कम नहीं होना चाहिए और 5 के गुणक में होना चाहिए।

(i) परीक्षा निकाय इस श्रेणी के व्यक्तियों की विशिष्ट आवश्यकताओं को शामिल करने के लिए अपने आवेदन पत्रों में संशोधन करेंगे।यदि प्रपत्र भरने के बाद किसी घटना की सूचना दी गई है, तो परीक्षा निकाय उम्मीदवारों को इन दिशानिर्देशों के अनुसार चिकित्सा प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए सूचित करेंगे ताकि लेखक और/या क्षतिपूर्ति के लिए समय दिया जा सके।

(जे) जहाँ तक संभव हो, ऐसे व्यक्तियों की परीक्षा ग्राउंड फ्लोर पर आयोजित की जा सकती है।परीक्षा केंद्र विकलांग व्यक्तियों के लिए सुलभ होने चाहिए।

(के) ये दिशानिर्देश केंद्रीय भर्ती एजेंसियों के साथ-साथ शैक्षणिक संस्थानों द्वारा आयोजित लिखित परीक्षाओं पर लागू होते हैं।एकरूपता बनाए रखने के लिए राज्य/केंद्र शासित प्रदेश इन दिशानिर्देशों को अपना सकते हैं या इसी तरह के दिशानिर्देश जारी कर सकते हैं।

(l) ये दिशानिर्देश विकलांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग द्वारा 29.08.2018 पर जारी मानक विकलांग व्यक्तियों के लिए लिखित परीक्षा आयोजित करने के लिए दिशानिर्देशों से स्वतंत्र हैं।

473

अर्नब रॉय बनाम कंसोर्टियम ऑफ नेशनल विधि

विश्वविद्यालय [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 474

(एम) जाँच निकाय लेखक की सुविधा के दुरुपयोग को रोकने के लिए कड़ी सतर्कता सुनिश्चित करेंगे। "

11. कार्यालय ज्ञापन के पैराग्राफ 4 में कहा गया है कि प्रत्येक मंत्रालय/विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत सभी भर्ती एजेंसियों, शैक्षणिक/परीक्षा निकायों को दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित सलाह दी जा सकती है।

12. इस न्यायालय के अंतरिम निर्देशों के अनुसरण में, कंसोर्टियम ने इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए बयान के संदर्भ में दिव्यांग उम्मीदवारों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान कीं।

13. अब जो मुद्दा बना हुआ है वह उन तौर-तरीकों के संबंध में है जिनका पालन सी. एल. ए. टी. द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के लिए किया जाएगा। 14.पहला पहलू जो न्यायालय के ध्यान में लाया गया है, वह यह है कि सी. एल. ए. टी. विज्ञापन 28 अगस्त 2022 को जारी किया गया था और पंजीकरण 18 नवंबर 2022 को बंद हो गया था। कंसोर्टियम ने 24 नवंबर 2022 को अपने दिशानिर्देश जारी किए और प्रवेश परीक्षा 18 दिसंबर 2022 को आयोजित की गई।

15. याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री निखिल नय्यर प्रस्तुत करते हैं कि घटनाओं का उपरोक्त क्रम इंगित करेगा कि दिशानिर्देश सी. एल. ए. टी. को अधिसूचित करने वाले प्रारंभिक विज्ञापन के तीन महीने बाद जारी किए गए थे। इस बात का कोई कारण नहीं है कि विज्ञापन के साथ दिशा-निर्देश क्यों जारी नहीं किए जा सके ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दिव्यांग उम्मीदवारों को प्रवेश परीक्षा के दौरान उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं के संबंध में अनिश्चितता की स्थिति न हो।

16. उपरोक्त प्रस्तुतिकरण में काफी हद तक योग्यता है।वास्तव में, हम यह भी ध्यान दे सकते हैं कि संघ की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री सिद्धार्थ अग्रवाल ने भी निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत किया है कि दिशानिर्देशों को बहुत पहले अधिसूचित किया जा सकता था ताकि प्रवेश परीक्षा में बैठने वाले छात्रों को निश्चितता प्रदान की जा सके।

17. हम याचिकाकर्ता की ओर से अनुरोध किए गए निवेदन को स्वीकार करते हैं और निर्देश देते हैं कि भविष्य में दिव्यांग उम्मीदवारों को दी जाने वाली सुविधाओं के लिए लागू होने वाले

दिशानिर्देशों को पहले से और किसी भी स्थिति में पर्याप्त रूप से अधिसूचित किया जाना चाहिए।

/

[2023] 14 एस सी आर।

विज्ञापन जिसके द्वारा सी. एल. ए. टी. के लिए अनुसूची सार्वजनिक डोमेन में रखी जाती है। यह सुनिश्चित करेगा कि उम्मीदवार अनिश्चितता की स्थिति में न रहें और विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 के प्रावधानों के अनुरूप उन्हें उपलब्ध कराई गई सुविधाओं और उचित आवास की प्रकृति को सटीक रूप से जानते हों।

18. सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील श्री निखिल नय्यर ने कुछ सुझाव दिए हैं।श्री नय्यर का कहना है कि इनमें से कुछ सुझावों को इस न्यायालय के 15 दिसंबर 2022 के अंतरिम निर्देशों के साथ-साथ 10 अगस्त 2022 के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिशानिर्देशों में पहले ही शामिल किया जा चुका है। 19.हम निर्देश देते हैं कि सी. एल. ए. टी., भविष्य में, अपने सूत्रीकरण के अनुरूप तौर-तरीकों को तैयार करेगा, जिसे इस न्यायालय के समक्ष रिकॉर्ड में रखा गया था ताकि दिव्यांग उम्मीदवारों को किसी भी तरह की असुविधा से बचा जा सके।कंसोर्टियम यह सुनिश्चित करने के लिए भी उचित कदम उठाएगा कि इसके दिशानिर्देश सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, विकलांग व्यक्ति विभाग द्वारा 10 अगस्त 2022 को जारी किए गए आधिकारिक ज्ञापन के अनुरूप हैं।इस न्यायालय को इस तथ्य से अवगत कराया गया है कि संघ किसी भी विकलांग उम्मीदवार को एक लेखक प्रदान करने की व्यवस्था भी करता है जो अपने दम पर एक लेखक प्राप्त करने में असमर्थ है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी उम्मीदवार प्रवेश परीक्षा में उपस्थित होने में असमर्थ न हो।

20. संघ द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि एक उम्मीदवार द्वारा नियुक्त किए गए लेखक को (ए) 11 वीं कक्षा से ऊपर की योग्यता प्राप्त नहीं होनी चाहिए या (बी) किसी भी परीक्षा-तैयारी संगठन या परीक्षा कोचिंग केंद्र से संबद्ध नहीं होना चाहिए।उपरोक्त दिशानिर्देश को इस आधार पर चुनौती दी जानी चाहिए कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 10 अगस्त 2022 को जारी आधिकारिक ज्ञापन में केवल यह निर्धारित किया गया है कि यदि परीक्षा निकाय एक लिपिक प्रदान करता है, तो यह सुनिश्चित किया जाएगा कि लिपिक की योग्यता परीक्षा के न्यूनतम योग्यता मानदंड से अधिक न हो। हालांकि, आधिकारिक ज्ञापन में यह प्रावधान है कि लेखक की योग्यता हमेशा मैट्रिक या उससे अधिक होनी चाहिए।आधिकारिक ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि यदि उम्मीदवारों को अपना स्वयं का लिपिक लाने की अनुज्ञात जाती है, तो लिपिक की योग्यता परीक्षा देने वाले उम्मीदवार की योग्यता से एक कदम कम होनी चाहिए।

21. श्री निखिल नय्यर, वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि संघ द्वारा प्रभावी अधिनियम के लिए जो प्रतिबंध लगाया गया है, वह लेखक 475 है।

अर्नब रॉय बनाम कंसोर्टियम ऑफ नेशनल विधि

विश्वविद्यालय [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, सीजेआई] 476

11 वीं कक्षा से ऊपर नहीं होना चाहिए या किसी भी परीक्षा-तैयारी संगठन या कोचिंग केंद्र से संबद्ध नहीं होना चाहिए।

22. दूसरी ओर, संघ की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री सिद्धार्थ अग्रवाल ने उन परिस्थितियों पर जोर दिया जिनमें इस तरह का प्रतिबंध लगाया गया है।वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि पूरी परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न (एमसीक्यू) होते हैं।इस पृष्ठभूमि में, परीक्षा की अखंडता और पवित्रता को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि लेखक अपने ज्ञान या अनुभव के आधार पर एम. सी. क्यू. के स्वतंत्र उत्तर न दे और इसलिए दोहरे प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसके अलावा, यह प्रस्तुत किया गया है कि किसी भी स्थिति में, यदि किसी उम्मीदवार को किसी लिपिक को शामिल करने में कोई कठिनाई होती है, तो संघ एक लिपिक प्रदान करने के लिए तैयार और इच्छुक है ताकि उम्मीदवार को प्रवेश परीक्षा में बैठने से रोका न जाए।

23. कंसोर्टियम की ओर से आयोजित किए गए एफ़ी डेविट से पता चलता है कि 18 दिसंबर 2022 को आयोजित सी. एल. ए. टी. में 292 उम्मीदवार पी. डब्ल्यू. डी. श्रेणी के थे। इनअंतर्गत से 211 उम्मीदवार स्नातक-सी. एल. ए. टी. के लिए उपस्थित हुए जबकि 81 उम्मीदवार स्नातकोत्तर-सी. एल. ए. टी. के लिए उपस्थित हुए। 49 उम्मीदवार अपने स्वयं के लेखक लाए।एक लिपिक के प्रावधान के लिए 16 अनुरोधों सहित अतिरिक्त आवास प्रदान करने के लिए 33 अनुरोध थे।कंसोर्टियम ने 15 उदाहरणों में एक लेखक प्रदान किया जबकि एक उम्मीदवार ने एक लेखक के लिए अनुरोध वापस ले लिया।

24. वर्तमान जैसी स्थिति में, न्यायालय को निः संदेह रूप से विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप उचित समायोजन की आवश्यकता का उचित सम्मान करना चाहिए, जैसा कि विकास कुमार (उपरोक्त) में निर्णय में व्याख्या की गई है।समान रूप से, प्रवेश परीक्षा की अखंडता को बनाए रखने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए संघ की ओर से स्थापित की गई वास्तविक चिंताओं को नजरअंदाज करना उचित नहीं होगा।
25. यह इस दृष्टिकोण से है कि संघ ने अपने दिशानिर्देशों में यह आवश्यक किया है कि उम्मीदवार को 11 वीं कक्षा से ऊपर नहीं होना चाहिए और इसके अलावा किसी भी परीक्षा-तैयारी या परीक्षा कोचिंग केंद्र से संबद्ध नहीं होना चाहिए।उच्चतम स्तर पर, एक उम्मीदवार को शिकायत हो सकती है यदि उक्त विवरण को पूरा करने वाला ऐसा कोई लेखक उपलब्ध नहीं है।लेकिन जैसा कि पहले ही ऊपर उल्लेख किया गया है, संघ ने एक लेखक प्रदान करने का दायित्व अपने ऊपर ले लिया है जो दिशानिर्देशों में निहित शर्तों को पूरा करता है।

26. दूसरे शब्दों में, सी. एल. ए. टी. के लिए उपस्थित होने वाले उम्मीदवार या तो अपना स्वयं का लिपिक ला सकते हैं या यदि ऐसा करना संभव नहीं है, तो संघ से एक लिपिक प्रदान करने का अनुरोध करें जिसे फिर उम्मीदवार को उपलब्ध कराया जाता है।सुनवाई के दौरान, यह सहमति बनी है कि जहां कंसोर्टियम एक लिपिक प्रदान करता है, वहां कम से कम दो दिन का समय दिया जाना चाहिए ताकि उम्मीदवार लिपिक के साथ बातचीत कर सके। हमारा मानना है कि यह उचित और उचित है।दृष्टिबाधित उम्मीदवार के मामले में एम. सी. क्यू. को पढ़ने और जवाब लिखने के लिए लेखक की आवश्यकता होती है। लेखक और आकांक्षी उम्मीदवार को परिचित कराने के लिए, यह उचित है कि दो दिनों की बातचीत के लिए पर्याप्त समय प्रदान किया जाए।दिशा-निर्देश भी इसी तरह की शर्त लगाते हैं।

27. इसलिए, हम संघ के अनुरोध को उसके इस दावे की सीमा तक स्वीकार करते हैं कि जिस लेखक का चयन किया गया है, वह 11 वीं कक्षा से ऊपर योग्य नहीं होना चाहिए और किसी भी परीक्षा-तैयारी संगठन या परीक्षा कोचिंग केंद्र से जुड़ा नहीं होना चाहिए।

28. दिशा-निर्देशों की प्रकृति और विषय-वस्तु को भविष्य के लिए रोका नहीं जा सकता है। कंसोर्टियम स्थिति की आवश्यकताओं और विशेष रूप से दिव्यांग उम्मीदवारों के अधिकारों के संदर्भ में सी. एल. ए. टी. के संचालन में प्राप्त ज्ञान और अनुभव की निरंतर विकसित प्रकृति को ध्यान में रखते हुए दिशानिर्देशों को संशोधित करने के लिए स्वतंत्र होगा।यदि पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों को किसी भी और बाधाओं का सामना करना पड़ता है, तो उन्हें पहले से ही कंसोर्टियम के ध्यान में लाया जा सकता है ताकि उनके वैधानिक अधिकारों के अनुरूप उपयुक्त उपचारात्मक उपाय किए जा सकें।

29. रिट याचिका और विविध आवेदन का तदनुसार निपटारा किया जाता है।

30. लंबित आवेदन, यदि कोई हों, का निपटारा कर दिया जाता है।

द्वारा तैयार किए गए हेडनोटः

लिखित याचिका और विविध आवेदन का निपटारा किया गया।

अंकित ज्ञान